

24.5.24

पत्रावली पेश हुई। आधी अधिवक्ता अप्रतिष्ठित
 स्ट्रे की ओर से तत्कालीन शिवगंज ने
 तबाल पेश किया जिसे आदिपत्र पत्रावली
 किया गया। तत्कालीन शिवगंज द्वारा
 प्रस्तुत जमाने रिपोर्ट पर आधी अधिवक्ता ने
 तत्कालीन शिवगंज की तबाल सुनी गई।
 आधी स्वयं या आधी अधिवक्ता ने कोई ऐसा
 इन्तर्व्यू पेश किया है जिसे पर गंभीर
 हो कि जेडु एवं संपन्न हुआ इनको एक ही
 व्यक्ति के नाम से। अतः न्यायालय हफ्ता
 के पर अधिल जारी नहीं करता है कि
 उक्त नाम की इन्तर्व्यू किया जावे। अतः
 अह अर्थात् इसी पर पर रजारीय विधि जारी है।
 पत्रावली में तबाल हुआ कि जेडु के अंतर्गत
 उपखण्ड में गरी
 शिवगंज (पत्रावली)

